न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

प्रतिवादी / अभियुक्त बनाम

श्री हरि राम ज्याणी पुत्र श्री धूरडाराम, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स बीकानेर मावा भण्ड़ार, सेन्ट्रल बैंक के पास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही, हाल– वाहन संख्या आरजे 24 पीए 5781, बाहरी घाटा, हनुमान जी मन्दिर, सिरोही–पिण्ड़वाडा रोड़, जिला–सिरोही, स्थाई पताः कतरियासर, बीकानेर–334022

F.S.S.Act Case No.85/2025

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः

प्रतिवादी हरि राम ज्याणी

–ः निर्णय ः– **दिनांक 11 मार्च, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरूद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 05–8–2025 को वाहन संख्या आरजे 24 पीए 5781 बाहरी घाटा, हनुमान जी मन्दिर, सिरोही–पिण्ड़वाडा रोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता हरि राम ज्याणी पुत्र श्री धूरडाराम, प्रोपराईटर, बीकानेर मावा भण्डार, सेन्ट्रल बैंक के पास, सिरोही, निवासी– कतरियासर, बीकानेर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) का नमूना संख्या S-2766 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1268/Act/2025/1268 दिनांक 13–8–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 11–3–2026 को प्रतिवादी हरि राम ज्याणी पुत्र श्री धुरडाराम ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 11–3–2026 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रतिवादी को सुना जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विधि अनुरुप निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 05–8–2025 को 09–05 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु वाहन संख्या आरजे 24 पीए 5781 बाहरीघाटा, हनुमान जी मन्दिर, सिरोही–पिण्ड़वाडा रोड़, जिला– सिरोही के पास गये। मौके पर प्रतिवादी हरि राम ज्याणी पुत्र श्री धूरडाराम, प्रोपराईटर, मैसर्स बीकानेर मावा भण्ड़ार, सेन्ट्रल बैंक के पास, सिरोही उपस्थित, निवासी– कतरियावास, बीकानेर उपस्थित मिले। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

उक्त वाहन का निरीक्षण करने पर उक्त वाहन में तीन लोहे के पीपों में लगभग 3x15 किलोग्राम खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) रखा हुआ पाया व प्रतिवादी श्री हरिराम ज्याणी पुत्र श्री धुरडाराम से पूछने पर उसने खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) ग्राहकों को बेचने हेतु बताया। उक्त वाहन में तीन लोहे के पीपों में रखे हुए खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता हरि राम ज्याणी पुत्र श्री धुरडाराम को गवाह श्री खेताराम, रेबारियों का वास, माण्डवाडा, सिरोही व श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने उक्त वाहन में ग्राहकों को बेचने हेतु तीन लोहें के पीपों में रखे हुए खाद्य पदार्थ 3X15 किलोग्राम में से 02 (दो) किलोग्राम खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 600/— (रुपये छः सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता हरि राम ज्याणी पुत्र श्री धुरडाराम को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 02 किलोग्राम कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) को प्रतिवादी विक्रेता व गवाहों के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक बोतल में फार्मेलीन की 40—40 बूंदे डालकर प्रत्येक नमूना बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2766, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी हरि राम ज्याणी पुत्र श्री धुरडाराम व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) के चारों नमूना बोतलों पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) की चारों नमूना बोतलों को अलग—अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता हरि राम ज्याणी पुत्र श्री धुरडाराम तथा उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता हरि राम ज्याणी व उक्त गवाहों तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 06—8—2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 05—8—2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध

........पेज तीन पर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सिरोही (राज.)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001

दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 05–8–2025 को उक्त वाहन संख्या आरजे 24 पीए 5781 बाहरीघाटा, हनुमान जी मन्दिर, सिरोही–पिण्ड़वाडा रोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता हरि राम ज्याणी पुत्र श्री धुरडाराम, प्रोपराईटर, मैसर्स बीकानेर मावा भण्ड़ार, सेन्ट्रल बैंक के पास, सिरोही से खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) के नमूना संख्या S-2766 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1268/Act/2025/1268 दिनांक 13–8–2025 में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीन से निर्मित) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 05–8–2025 को उक्त वाहन संख्या आरजे 24 पीए 5781 बाहरीघाटा, हनुमान जी मन्दिर, सिरोही–पिण्ड़वाडा रोड में प्रतिवादी विक्रेता हरि राम ज्याणी पुत्र श्री धुरडाराम, प्रोपराईटर, मैसर्स बीकानेर मावा भण्ड़ार, सेन्ट्रल बैंक के पास, सिरोही, स्थाई पताः कतरियावास, बीकानेर द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी से निर्मित) (नमूना संख्या S-2766) के विक्रय हेतु प्रतिवादी हरि राम ज्याणी पुत्र श्री धूरडाराम, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स बीकानेर मावा भण्ड़ार, सेन्ट्रल बैंक के पास, सिरोही, जिला– सिरोही, स्थाई पताः कतरियावास, बीकानेर–334022 पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, हरि राम ज्याणी पुत्र श्री धूरडाराम, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स बीकानेर मावा भण्ड़ार, सेन्ट्रल बैंक के पास, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11 मार्च, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)